भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4890

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा-किस्त का संग्रहण और दावों का भुगतान

4890. श्री राधाकृष्णः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में कवर किए गए किसानों की

वर्षवार और राज्यवार संख्या कितनी है और इसका प्रतिशत क्या है तथा बीमित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार, राज्य सरकारों और किसानों से पिछले पांच वर्षों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित बीमा कंपनियों द्वारा संगृहित बीमा-किस्त का कंपनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में सूचित किए गए दावों और भुगतान किए गए दावों का कंपनीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कवर किए गए किसानों के आवेदनों की संख्या और बीमित क्षेत्र का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों के सकल फसली क्षेत्र का लगभग 40% का बीमित किया गया है।

(ख) और (ग): पीएमएफबीवाई के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक्चुरियल/ बोली प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं। पूरे देश में इस सीजन के लिए किसानों से अत्यधिक कम प्रीमियम दर निर्धारित की जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है।

एक्चुरियल प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। इसके अलावा, खरीफ 2023 सीजन से योजना के प्रभावी प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में मानक पीएमएफबीवाई के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण मॉडल भी शामिल हैं, जैसे कप और कैप मॉडल (80:110), कप और कैप मॉडल (60:130) और लाभ और नुकसान साझाकरण मॉडल, जिसके तहत एक निश्चित सीमा से कम दावों के मामले में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा राज्य के खजाने में वापस चला जाएगा। इसके अतिरिक्त, निश्चित सीमा से अधिक के दावों के मामले में, केंद्र तथा राज्यों द्वारा दावों का भुगतान किया जाना आवश्यक है। राज्यों को इनमें से किसी भी एक मॉडल को चुनने की छूट दी गई है।

अतः, केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच देय प्रीमियम हिस्से, वास्तविक प्रीमियम दरों तथा अपनाए गए जोखिम मॉडल (कप एंड कैप मॉडल) के साथ उपर्युक्त उल्लिखित विभिन्न कारकों पर आधारित है। वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण मॉडल के अंतर्गत, यदि दावा एक निश्चित सीमा से कम है तो प्रीमियम सरकार को वापस मिल जाता है तथा यदि दावा एक निश्चित सीमा से अधिक है तो सरकार भी दावा भुगतान में भाग लेती है, इसलिए राज्य और केंद्र सरकारों के सटीक योगदान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

तदनुसार, पिछले पाँच वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान किसानों से एकत्र किए गए कंपनी-वार और वर्ष-वार प्रीमियम (किसानों, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के हिस्से सहित) और भुगतान किए गए दावों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं. 4890

अनुबंध- I

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 के दौरान कवर किए गए किसानों के आवेदनों की संख्या और बीमित क्षेत्र का राज्यवार और वर्षवार विवरण (31.01.2025 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमित किसानों के आवेदन (संख्या में)					बीमाकृत क्षेत्र (लाख में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	99	339	535	173	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	27,88,373	-	-	1,25,63,988	1,29,28,275	20.06	-	-	35.75	41.03
असम	10,06,212	16,60,076	9,96,027	4,89,983	7,95,553	5.70	10.77	5.58	3.15	4.20
छत्तीसगढ	40,17,118	51,58,351	58,38,755	77,30,260	81,24,956	24.32	24.52	22.98	23.26	24.18
गोवा	886	84	64	403	234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	24,80,726	-	-	-	-	29.44	-	-	-	-
हरियाणा	17,10,601	16,50,558	14,52,842	14,49,323	1,01,74,480	22.50	18.87	16.19	16.00	6.91
हिमाचल प्रदेश	2,84,009	2,40,727	2,33,725	2,67,643	2,78,051	65.09	30.08	40.83	42.66	39.41
जम्मू और कश्मीर	-	-	90,834	91,582	2,45,630	-	-	0.42	0.44	1.25
झारखंड	10,92,116	-	-			6.45	-	-	-	-
कर्नाटक	19,45,207	15,87,801	19,17,808	26,84,781	30,15,023	21.06	15.97	17.28	22.88	22.87
केरल	58,135	76,317	98,510	1,46,546	1,74,141	0.37	0.44	0.51	0.69	0.74
मध्य प्रदेश	83,97,265	84,52,044	92,64,216	1,77,32,045	1,77,95,823	117.14	129.76	116.17	90.13	89.27
महाराष्ट्र	1,45,66,294	1,24,06,368	99,02,582	1,07,33,909	2,41,81,705	79.24	68.12	59.08	65.22	160.38
मणिपुर	3,256	-	2,807	4,066	5,073	0.03	-	0.02	0.03	0.04
मेघालय	607	130		337	38,569	0.00	0.00	-	0.00	0.15
ओडिशा	48,79,301	97,52,474	81,73,856	80,20,763	1,41,35,516	18.72	11.89	10.16	9.27	16.09
पुदुचेरी	12,014	10,980	35,818	38,384	42,224	0.09	0.08	0.14	0.12	0.13
राजस्थान	86,16,616	1,07,59,591	3,44,70,735	3,90,96,690	3,89,91,851	98.28	113.53	107.10	106.82	103.32
सिक्किम	21	85	2,422	5,025	3,104	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
तमिलनाडु	38,93,787	58,87,474	59,11,015	61,43,139	54,56,133	14.24	17.20	15.65	15.40	13.90
तेलंगाना	10,34,223	-	-	-	-	11.35	-	-	-	-
त्रिपुरा	36,382	2,57,236	3,35,514	3,56,201	3,73,362	0.06	0.38	0.52	0.69	0.90
उत्तर प्रदेश	46,97,567	41,90,508	40,68,679	42,83,804	60,26,146	36.77	31.60	29.51	29.72	25.05
उत्तराखंड	2,12,675	1,70,812	1,82,762	2,82,068	2,26,917	1.14	9.86	9.60	38.86	55.85
कुल (अखिल भारतीय)	**6,17,33,490**	**6,22,61,955**	**8,29,79,506**	**11,21,21,113**	**14,30,12,953**	**572.04**	**483.09**	**451.75**	**501.12**	**605.68**

\- कार्यान्वित नहीं किया गया

लो.स.अता.प्र.सं. 4890

अनुबंध- II

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक किसानों से एकत्रित प्रीमियम तथा किसानों को भुगतान किए गए दावों का कंपनीवार एवं वर्षवार विवरण (31.03.2025 तक)

कंपनी	सकल प्रीमियम (करोड़ में)					भुगतान किये गये दावे (करोड़ में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
एआईसी	14,472.00	16,387.19	15,330.65	13,429.42	9,489.29	14,720.75	13,421.47	10,339.92	9,244.03	5,564.75
बजाज आलियांज	2,245.32	2,503.83	2,097.41	2,737.18	1,608.70	1,655.67	1,105.88	1,740.43	1,991.18	809.14
भारती एक्सा	818.80	788.56	679.61	-	-	123.37	181.53	421.25	-	-
चोला एमएस	-	-	-	-	526.13	-	-	-	-	406.08
फ्यूचर जनरली	981.64	1,032.26	922.17	970.12	373.37	429.13	330.19	719.07	391.12	167.01
एचडीएफसी एर्गो	2,510.74	2,421.60	2,676.92	3,347.45	3,276.61	1,364.85	1,106.94	1,687.51	1,123.98	557.29
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	-	-	-	877.90	1,198.08	-	-	-	579.59	769.64
इफको टोकियो	2,073.52	2,476.90	1,667.75	1,310.13	1,323.46	1,778.17	1,771.39	1,049.91	206.14	880.30
क्षेमा जनरल	-	-	-	-	893.81	-	-	-	-	430.96
नेशनल	248.75	4.59	7.24	6.93	0.08	251.68	13.77	8.55	2.95	-
न्यू इंडिया	452.43	-	-	-	-	1,245.38	-	-	-	-
ओरिएंटल	1,869.28	54.03	-	-	1,912.17	2,398.36	67.61	-	-	3,359.44
रिलायंस जनरल	2,117.19	2,672.39	3,055.65	3,289.91	3,784.06	1,155.62	814.37	2,702.14	2,014.29	1,269.11
रॉयल सुंदरम	809.22	-	-	- -	-	218.11				
एसबीआई जनरल	1,972.35	1,967.52	2,227.27	2,903.59	2,641.16	1,956.54	1,802.95	1,380.34	1,609.87	655.44
टाटा एआईजी	-	-	-	-	272.24	-	-	-	-	369.99
यूनाईटेड इंडिया	203.74	-	-	694.55	838.21	185.38	-	-	536.82	477.42
यूनिवर्सल सोम्पो	1,486.89	1,356.67	1,370.53	1,547.99	1,368.45	430.29	608.95	801.57	685.15	787.96
कुल योग	**32,261.86**	**31,665.53**	**30,035.19**	**31,115.17**	**29,505.82**	**27,913.30**	**21,225.05**	**20,850.69**	**18,385.14**	**16,504.54**

कार्यान्वयन के लिए चयनित नहीं किया गया।

*****